8. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
9. प्रत्येक स्व–घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में बदलाव (जैसे मैन्टीनेंस इत्यादि) की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य है।
10. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन में उपलब्ध न्यूनतम अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त भवन में सुदृढ़ व्यवस्था हेतु लेब (कैमिस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में क्लीन एजेन्ट बेस एक्सटिंग्यूसिंग सिस्टम, फोम एक्सटिंग्यूशर तथा जेनरेटर सेट/डीजल स्टोरेज हेतु 50 लीटर क्षमता का फोम एक्सटिंगयूशर का प्रावधान कराना अनिवार्य होगा। जिसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रथम स्व–घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
11. संस्थान मे प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
12. भवन/संस्थान के स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित सेट बैक में स्थाई या अस्थाई निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
13. संस्थान में जीवन रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निर्धारित मानको/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखे जाने की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
14. इस अग्निशमन अनापत्ति की निर्गत तिथि के उपरान्त भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थों के खराब रख रखाव/प्रशिक्षण (Poor Maintenance/Training) या किसी अन्य कारण से कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
15. **प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत भवन का मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है। भवन का उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाए, यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नही रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा। उक्त भवन के किसी तल में कोई नया संस्थान संचालित किया जाता है तो उसकी जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**
16. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नियमानुसार व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नही करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा तथा यह प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अभिनव त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

V Rawat
Authorised Signatory
of Manager
SGRR EDUCATION MISSION, DEHRADUN

Principal
S.G.R.R. Public School
Sahaspur

Appendix X

Date:

mmittee

nd, if it is

ttee

कार्यालय [illegible] अग्निशमन अधिकारी, जनपद [illegible]

[illegible] cfoddn.ukfs@gmail.com | [illegible] नम्बर–9456597981 [illegible]

[illegible] [illegible] -D-15- 9[illegible] | [illegible] 18 [illegible]

स्वीकृत मानचित्र के अनुसार

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक
SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL FOR
MANAGING COMMITTEE SHRI GURU RAM RAI EDUCATION MISSION
THROUGH ITS MANAGER MANAGING COMMITTEE
"ADDITION ALTERATION NURSERY TO SENIOR SECONDARY SCHOOL"
SITUATED AT KHASRA NO-1096 & 1097 KHA. MAUZA-SAHASPUR.
PARGANA-PACHWA DOON. TAHASIL-VIKAS NAGAR.
जनपद–देहरादन।

2. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदित आवेदन पत्र के अनुसार
प्रधानाचार्य / प्रबन्धक
Shri Guru Ram Rai Public School
Shankarpur Road Near Forest Barrier Sahaspur. Dheradun
जनपद–देहरादन।

विषय: **शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के पूर्व संचालन (Pre-Operational) के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े।**

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर–24395860 दिनांक 08.04.2026 जो कि **Uttarakhand Fire and Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी सलाकुई द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी सलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक 14.04.2026 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन व्यवस्था फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, फायर अलार्म, वेटराईजर, हाईड्रेन्ट, पानी टैंक, फायर पम्प इत्यादि कार्यशील दशा में पायी गयी।

उपरोक्त भवन / संस्थान एक ***शैक्षणिक भवन*** है, भवन / संस्थान में ***भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल*** है। जिसके प्लॉट का [illegible]–7990.15 वर्ग मीटर है। भवन / संस्थान मे ***बेसमेन्ट*** नहीं है।

अतः उपनिदेशक (तकनीकी) महोदय उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा देहरादून के ऑनलाईन [illegible] दिनांकित 16.04.2026 तथा उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग–05 की अधिसूचना संख्या–342 / XX-3 2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर 2021 तथा [illegible]-304272 / XX-3 2025-02(10)/2024 देहरादून दिनांक 06 जून 2025 के अनुपालन में दिनांक 18 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2029 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है तथा निम्न शर्तों का पालन किये जाने पर ही वह वैध रहेगा।

1. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
2. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी.–2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र / Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत / अपलोड / ईमेल (cfoddn.ukfs@gmail.com) करना अनिवार्य है।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढिया प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
4. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों / विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
5. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य / प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रो की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः स्वामी / प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
6. संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाउस की इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए सपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाउस को इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व प्रधानाचार्य / प्रबन्धक का होगा। फायर पम्प को सदैव ऑटोमोड में रखा जाए।
7. भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रो की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सेट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।

–क्रमशः 02–

Authorised Signatory
Manager
SGRR EDUCATION MISSION, DEHRADUN

Principal
S.G.R.R. Public School